संख्या- 13 /2026/1305/छः-पु0-9-26-1681562

प्रेषक,

राकेश कुमार मालपाणी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय,
उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-09 **लखनऊ : दिनांक 11-08-2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त रू० 3,82,95,000/- में से शेष धनराशि रु0 2,84,95,000/- निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के पत्र संख्या- UPSIFS-FB-01/2026/1339 , दिनांक 01.07.2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में फोरेंसिक लेखाशीर्ष "2055-पुलिस-116-न्यायालिक विज्ञान 04-उ०प्र० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ़ फोरेंसिक साइंस, लखनऊ के मानक मद -20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्रावधानित धनराशि रु० 15,31,80,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रूपये 3,82,95,000/- निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-12/2026/1216/छः-पु0-9-26-1681562, दिनांक 13.07.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में उ0प्र0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त रू० 3,82,95,000/- में से धनराशि रु0 98,00,000/- निर्गत कर दी गयी है।

3- तद्क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में लेखाशीर्षक 2055-पुलिस 116-न्यायालयिक विज्ञान-04-यू0पी0 स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइसेंज, लखनऊ के मानक मद 20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रूपये 15,31,80,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त रू० 3,82,95,000/- में से शेष धनराशि **रु0 2,84,95,000/- (रुपये दो करोड़ चौरासी लाख पंचान्नबे हजार मात्र)** निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) पुलिस मुख्यालय/संस्थान द्वारा उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल0उ0) दिनांक 23.08.2017 तथा शासनादेश संख्या-57/18-2-2014-97(ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त उपकरण/सामग्री/ सेवाओं के क्रय हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणों/सामग्री/सेवाओं आदि की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(3) संस्थान/पुलिस मुख्यालय कार्यात्मक आवश्यकता के दृष्टिगत प्रस्तावित उपकरणों/सामग्री के मेक/माडल/स्पेसिफिकेशन एवं संख्या के संबंध में विभागीय व्यवस्थाओं के अन्तर्गत संतुष्ट हो लेंगे।

(4) संस्थान/पुलिस मुख्यालय क्रय किये जाने वाले उपकरण/सामग्री/सेवाओं की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(5) उपकरण/सामग्री/सेवाओं का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2027 तक कर लिया जायेगा।

4- इस सम्बंध में होने वाला व्यय **रु0 2,84,95,000/- (रूपये दो करोड़ चौरासी लाख पंचान्नबे हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में फोरेंसिक लेखाशीर्षः 2055-पुलिस-116- न्यायालिक विज्ञान-04 यू०पी० स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइस लखनऊ के मानक-20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक- 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

राकेश कुमार मालपाणी

विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/1305(1)/छः-पु0-9-26-1681562 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. निदेशक, उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट आफ फोरेंसिक साइंसेज, लखनऊ।

5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएँ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

6. निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12

8. गृह (पुलिस) अनुभाग-7

9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

सजीवन

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।